न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 198/2024

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

रिचा पुत्री राजाराम पत्नी सतीश कुमार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0.

–वादीया

बनाम्

1. राजाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री विवेक बुडानिया –वकील वादीया

2. श्री राजेश बुडानिया –वकील प्रति 1

निर्णय

दिनांक :– 3.6.2024

वादीया रिचा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 09–05–2024 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीया के पिता प्रतिवादी सं 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 2 डी.एल.पी ज.स 2071–74 के खाता स 106/61 मै 0.253है व चक न 1 एम.एम.के ज.स 90/44 मे 3.491है व चक न 4 आर.टी.पी ज.स 2072–75 के खाता स 147/107 मे 2.377है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कि वादीया व प्रतिवादी स 1 एक ही परिवार के सदस्य है वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि प्रतिवादी स 1 की विरास्तन प्राप्त भूमि कि वादीया के पिता प्रतिवादी सं 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 2 डी.एल.पी ज.स 2071–74 के खाता स 106/61 मै 0.253है व चक न 1 एम.एम.के ज.स 90/44 मे 3.491है व चक न 4 आर.टी.पी ज.स 2072–75 के खाता स 147/107 मे 2.377है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया स 1 प्रतिवादी स 1 की पुत्री है उक्त वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि प्रतिवादी स 1 की विरास्तन प्राप्त भूमि है जिसमे वादीया का 1/2 हक व हिस्सा जन्म से बनता है। वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि का घरू विभाजन वादीया व प्रतिवादी स 1 ने काफी समय पूर्व अच्छी मंदी अनुसार कर लिया था। मुताबिक घरू विभाजन प्रतिवादी स 1 ने अपने हक व हिस्सा की चक न 4 आर.टी.पी ज.स 2072--75 के खाता स 147/107 मे प्राप्त कर लिया है व चक न 2 डी.एल.पी ज.स 2071--74 के खाता स 106/61 व चक न 1 एम.एम.के ज.स 90/44 मे दर्ज कृषि भूमि वादीया के हक व हिस्सा मे आई है। इसलिए मुताबिक घरू विभाजन वादीया खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है। **मुताबिक घरू विभाजन प्रतिवादी सं 1 के नाम तहसील संगरिया के चक न 2 डी.एल.पी ज.स 2071–74 के खाता स 106/61 मै 0.253है व चक न 1 एम.एम.के ज.स 90/44 मे 3.491है कृषि भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर** [illegible] **प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन करवाना चाहती है।** वादीया इसी अनुसार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है। कि वादीया ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि [illegible] वादपत्र की चरण सं. 4 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार [illegible] मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो [illegible] बाद में पिछले सप्ताह वादीया की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करने [illegible]। कि वाद पत्र बाबत घोषणा का हैं जो उचित 2/–रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। की प्रतिवादी संख्या 2 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि वाद तहकीकात कर वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.06.18 16:48:22 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

कि प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 2 डी.एल.पी ज.स 2071–74 के खाता स 106/61 मै 0.253है व चक न 1 एम.एम.के ज.स 90/44 मे 3.491है कृषि भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति का जवाव दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 2 का तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाव दावा प्रस्तुत हुआ जो शामिल प्रत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी मे वादीया ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। तथा जं.बं. चक न 2 डी.एल.पी ज.स 2071–74 के खाता स 106/61 व चक न 1 एम.एम.के ज.स 90/44 व चक न 4 आर.टी.पी ज.स 2072–75 के खाता स 147/107 कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 ता 3 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 2 डी.एल.पी ज.स 2071–74 के खाता स 106/61 मै 0.253है व चक न 1 एम. एम.के ज.स 90/44 मे 3.491है कृषि भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादी के वकील द्वारा वकील वादी के कथनो कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीया के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीया ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्ष 1 ता 3 किये गए बहस में वकील प्रतिवादी स 1 द्वारा वादीया द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्ष दस्तावेज 1 ता 3 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीया का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद पत्र डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 2 डी.एल.पी ज.स 2071–74 के खाता स 106/61 मै 0.253है व चक न 1 एम. एम.के ज.स 90/44 मे 3.491है कृषि भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त खातो से प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 3.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 16:48:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 198/2024
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

रिचा पुत्री राजाराम पत्नी सतीश कुमार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0.

–वादीया

बनाम्

1. राजाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 31.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक क्लेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विवेक बुडानियां वकील वादीया मिन जामिन मुदई व श्री राजेश बुडानिया वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 2 डी.एल.पी ज.स 2071–74 के खाता नं 106/61 मै 0.253है व चक न 1 एम.एम.के ज.स 90/44 मे 3.491है कृषि भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त खातो से प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31.5.2024 जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 16:48:22 IST
Reason: SelfAttested